कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,
Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–२२१५ /FP/UK/ROAD/11303/2015:देहरादूनः दिनांकः २० मार्च, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंर्तगत सेमलसारी से गैर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.165 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबध में।

सन्दर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/111/2017/एफ0सी0/1313 दिनांकः–25.09.2018।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार के द्वारा विषयांकित प्रकरण पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। जिसकी अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के पत्रांक–1902/12–1, दिनांक–01.03.2023 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की गयी हैः–

क्र० स०	शर्त	निराकरण आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.330 है0 ग्राम दारसों सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि(वर्तमान दरों को समाहित करते हुये) जमा कर दी गई है। उक्त भूमि वन विभाग के सवामित्व से बाहर है अतः इसे वन भूमि के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एंव नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के पत्रांक–1902/12–1, दिनांक–01.03.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.330 है0 ग्राम दारसों सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 2321279.00 ऑनलाईन चालान द्वारा जमा कर दी गयी है।(संलग्न–01) एवं उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व हेतु जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण की कार्यवाही की जा चुकी है। (संलग्न–02)
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक–05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के पत्रांक–1902/12–1, दिनांक–01.03.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वज्ञरा एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि रू0 2736404.00 वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से दिनांक–06.02.2019 के द्वारा जमा कर दी गयी है। (संलग्न–1 के अनुसार)
3.	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाय।	प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के पत्रांक–1902/12–1,दिनांक–01.03.2023द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते है कि यदि एन0पी0वी0 के दरों में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा जमा कर दी जायेगी।(संलग्न–3)
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें की जमा	प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के

	की गयी सभी निधियां (CA Cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर ऑनलाईन जनरेट किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक मे जमा किये जाए, अन्य माध्यम से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	पत्रांक–1902/12–1, दिनांक–01.03.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी सभी निधियां (CA Cost,NPV etc.) को वैब पोर्टल पर ऑनलाईन जनरेट किये गये चालान के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में आर0टी0जी0एस0 के द्वारा दिनांक-06.02.2019 जमा कर दी गयी है।
5.	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनो किनारों तथा central verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की बचन वद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनो किनारों तथा central verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की बचन वद्धता प्रमाण पत्र प्रेषित है। **(संलग्न–04)**
	अन्य शर्त	
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	उक्त शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा।
2.	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिये बाध्य होगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति के कम सं0–03 के अनुसार। **संलग्नक–03**
3.	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 8.330 है0 ग्राम द्वारसों सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोड़ल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट के पत्रांक–1902/12–1, दिनांक–01.03.2023 द्वारा अवगत कराया गया है उत्तराखण्ड़ शासन वन अनुभाग–3 के पत्रांक सं0–33/X-3/22/14(02)/2021 Part-1 दिनांक–11/01/2022 की अधिसूचना के अनुसार आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। **संलग्न–06**
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/ स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	उक्त शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन Forward एवं Back bearing अंकित किया जाएगा।	उक्त शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस /कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।	उक्त शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा।
7.	परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचांयी जाएगी।	उक्त शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा।
8.	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शायें गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्वानुमति के विना ट्रान्सफर नहीं किया जाएगा।	उक्त शर्त का अनुपालन. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा।
9.	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 75से अधिक न हो।	उक्त शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा।

10.	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनो किनारों तथा central verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की बचन वद्धता प्रेषित करनी होगी।	उक्त शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा।(संलग्नक–04 के अनुसार)
11.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	उक्त शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा।
12.	यदि कोई अन्य संबधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायलय आदेश/अनुदेशज्ञ आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधनी जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रोयक्ताा एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	उक्त शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा।
13.	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।	उक्त शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जाएगा।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट, के पत्रांक–1902/12–1, दिनांक–01.03.2023 द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(एस0एस0रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड़,देहरादून।

संख्या : 2214 / FP/UK/ROAD/11303/2015 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड़ , देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
3. इकाई प्रभारी, पी0एम0जी0एस0वाई0 ब्रिड़कुल बडंकोट।

20/3/23

(एस0एस0रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड़,देहरादून।